# राजस्थान सरकार

## विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(5)न्याय/18 जयपुर, दिनांक 9.10.19

**श्री ब्रह्म कुमार सोनी**
**सहायक विधि परामर्शी**
**(उप विधि परामर्शी के पद के विरूद्ध)**
**निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा**
**बीकानेर।**

**विषयः**—उप विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2019—20 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु संतान संबंधी घोषणा—पत्र भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका नाम उप विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2019—20 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.05.2019 द्वारा संतान संबंधी घोषणा पत्र चाहा गया था, परन्तु आप द्वारा उक्त प्रमाण—पत्र आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई तथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.08.2019 द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किए गए तथा आपका संतान संबंधी प्रमाण—पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण आपकी पदोन्नति रोकी गई।

अतः इस संबंध में संतान संबंधी घोषणा पत्र इस विभाग को 7 दिवस में भिजवाए अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि आप पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर ली जाएगी।

9-10-19

**(मधुसूदन शर्मा)**
**संयुक्त शासन सचिव**

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx